न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा
पीठासीन अधिकारी सुरेश चावला(RAS)
राजस्व वाद संख्या 59/2016

1. श्रीमति सुगन कंवर पत्नि श्री गिरधर सिंह जाति राजपूत निवासी संथाना तहसील मसूदा हाल तहसील बिजयनगर जिला अजमेर .....वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार महोदय, बिजयनगर। .....प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 03.05.2017

वादिया ने अपने इस वाद में साराशतः निवेदन किया है कि उसे ग्राम सथाना भू0 अ0 नि0 क्षेत्र एवं तहसील बिजयनगर जिला अजमेर स्थित आराजी साबिक ख0 न0 471 में 12 बीघा भूमि का आवंटन संवत् 2023 में किया गया था तब से वादिया इस आराज पर काबिज काश्त चली आ रही है साबिक न0 471 के अनेका अनेक नये नम्बर कायम किये जाकर भिन्न लोगो को भूमि आंवटित की गई लेकिन नये नम्बरों से वादिया के नाम नही लगाई जा सकी। मेरा कब्जा साबिक ख0 न0 471 में जिस जगह है उसके मिलान क्षेत्रफल अनुसार ख0 न0 1209/3556 रक्बा 05.15.00 बीघा बने है। मैने अपने नाम लगवाने हेतु आवेदन भी किये लेकिन कोई कार्यवाही नही की गई है अतः वादिया को विवादित भूमि में खातेदार घोषित किया जावे तथा इस गलत इन्द्राजात के कारण प्रतिवादी अन्य व्यक्ति को आंवटित कर देगा या खुर्द बुर्द कर देगा अतः उसे जरिये स्थाई निषेधाज्ञा निषेध किया जावे।

प्रतिवादी ने अपने प्रतिवाद पत्र में यह स्वीकार किया है कि विवादित आराजी साबिक ख0 न0 471 रक्बा 12–00–00 बीघा भूमि ग्राम सथाना की जमाबंदी संवत् 2023–26 में वादिया सुगन कंवर के नाम दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार इसके ख0 न0 1209/3556 रक्बा 5–15–00 ही है और वह सरकारी खाते दर्ज है अतः वादिया को स्टे नही दिया जावे।

पटवारी हल्का ने अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 28.09.2016 में बताया कि वादिया को विवादित आराजी के सरकारी होने की जानकारी नही थी वर्तमान में ख0 न0 1209/3556 पर वादिया के नजदीकी रिश्तेदार वीरेन्द्रसिंह पुत्र नरसिंह राजपूत का पडत कब्जा है। पर्चे पर उपस्थित मोतबिरान के हस्ताक्षर है

बहस विव्दान अभिभाषक वादी एवं पेरोकार प्रतिवादी सुनी गई। वादी अभिभाषक के तर्क रहे कि विवादित आराजी उसे संवत् 2020 अर्थात सन् 1963 में ग्राम सथाना के साबिक ख0 न0 471 मि0 से कुल 12 बीघा भूमि आंवटित की गई थी जिसका कब्जा मोके पर मुझे विधिक रूप से जरिये घटना बही के इन्द्राज 248 दिनांक 26.06.1963 को भोतिक रूप से संभला दिया गया था इस पर सम्वत् 2021 व 2022 में ज्वार व 2024 में तिल बोयें है और इसी प्रकार बोती चली आ रही हूँ मै गिरदावरियां पेश कर रही हूँ मेरे एक विधवा कमजोर होने का लाभ उठाते हुए अडौस पडौस के लोग मैरी इस आराजी में जबरन घुसकर अतिक्रमण कर लिया और वरवक्त भूसंशोघन 1970–71 एवं उसके बाद कायम हुई वर्किंग जमाबंदी आने तक वादिया के कब्जे काश्त में 12 बीघा के स्थान पर मात्र 5–15–00 बीघा भूमि ही रह गई जो आंवटन दिवस से आदिनांक मेरे कब्जे काश्त में है और इसके सेटलमेंट में नये ख0 न0 1209/3556 रक्बा 5–15–00 बीघा बने है लेकिन इसे भी सेटलमेंट कर्मियों द्वारा इसे सहवन से सरकारी खाते में डाल दिया है जिस प्रतिवादी ने अपने प्रतिवादी पत्र में भी स्वीकार है। वादिया वृद्ध एवं असहाय औरत है इसलिए वर्तमान में वह अपने पौत्र वीरेन्द्रसिंह वल्द नरसिंह से काश्त करवा रही है जिसकी पुष्टी पटवारी हल्का ने मोका पर्चा दिनांक 28.09.2016 से की है इस प्रकार विवादित आराजी में प्रतिवादी की भलि प्रकार जानकारी में काबिज काश्त उपभोग में चली आती हूँ इसलिए मेरा वाद स्वीकार कर मुझे इसमें खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

विर्तक में पेरोकार प्रतिवादी ने केवल मात्र सरकारी होने के कथन करते हुए वाद सव्यय निरस्त करने का निवेदन किया।

बहस के परिपेक्ष में मैनें पत्रावली का अवलोकन किया ग्राम सथाना का नक्शा किश्तवार प्रदर्श 1 है जिसमें विवादित भूमि को सेटलमेंट से ही पृथक से तरमीम की हुई है। जमाबंदी संख्या 2069–72 व 2046–49 व 2050–53, 2054–57 व 2058–61 क्रमशः प्रदर्श 2 से 6 है तथा मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 7 है जिसके अनुसार हाल न0 1209/3556 साबिक न0 471 के आंशिक रक्बे से बने है। जमाबंदी सम्वत् 2023–26 जिसमें वादिया को ख0 न0 471 में 12 बीघा भूमि आंवटन करने के दिनांक 23.06.1963 में इन्द्राज है। इन सभी दस्तावेजी साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए प्रकरण में कायम तनकियात को निम्न प्रकार से तय किया जाता है।

तनकी 1 आया वादिया को ग्राम सथाना स्थित साबिक ख0 न0 471 की 12 बीघा भूमि सम्वत 2023 में आवंटित की गई थी जिसके आधार पर वादिया सिवायचक आराजी हाल ख0 न0 1209/3556 रक्बा 5–15–00 बीघा में खातेदार होने की घोषणा कराने व इस बाबत् प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति की अधिकारिणी है?

इसे सिद्व करने का भार वादिया पर रहा है उसने इसे साबित करने के लिए ग्राम सथाना की जमाबंदी संख्या 2023–26 की प्रमाणित प्रति पेश की है जिसमें स्पष्ट रूप से वादिया को सं0 2020 में ख0 न0 471 में 12 बीघा भूमिहीन होने आंवटित किया जाना अंकित है यही नही उसे घरना बही की घटना 248 दिनांक 23.06.1963 से मोके पर बाजाहप्ता कब्जा दिया जाना अंकित है। वर्तमान में 12 बीघा से मात्र 5–15–00 बीघा भूमि रह जाने के पीछे उसके वकील ने बहस में उसके वृद्व एवं महिलाजात होकर कमजोर होने से लोगों ने कब्जा कर लिया है इसलिए वह हाल न0 1209/3556 जो रक्बा 5–15–00 का ही रह गया है उसी में खातेदारी चाहती है। प्रदर्श 1 नक्शा किश्तवार में यह आराजी पृथक से तरमीम है अलावा इसके पटवारी हल्का ने उसके ही परिवार के वीरेन्द्रसिंह से काश्त करवा रही है। वादिया जरिये दस्तावेजी साक्ष्य तनकी अपने पक्ष की अपने पक्ष में सिद्व करने में सफल रही है।

तनकी – 2 आया विवादित आराजी सरकारी सिवायचक भूमि है। जिसमें वादिया अपेक्षित अनुतोष प्राप्ति की अधिकारिणी नही है?

इसको प्रतिवादी को सिद्व करना था लेकिन वह अपने प्रतिवाद में वादिया को आंवटन किया जाना स्वीकार किया है तो वह केसे वाद खारिज करवाने का अधिकारी है सिद्व नही कर पाया है अतः तनकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी तय की जाती है।

अनुतोष?

प्रकरण में विस्तार से विवेचन करने एवं तनकियात के निर्णय पर वाद वादिया स्वीकार योग्य पाया जाता है अतः स्वीकार किया जाता है तथा बहक वादिया विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर ग्राम सथाना स्थित आराजी ख0 न0 1209/3556 रक्बा 5–15–00 बीघा में वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा यथानुसार राजस्व अभिलेख में विवादित भूमि वादिया के नाम लगाये जाने के आदेश पारित किये जाते है। प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा वादिया के कब्जे काश्त में दखलंदाजी से निषेध किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03.05.2017 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी महोदय

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.02 14:10:12 IST
Reason: SelfAttested
Location: